



जी.एस.टी. फॉर्म की गूढ़ लिपि की व्याख्या

drishtias.com/hindi/printpdf/decoding-gst-forms

चर्चा में क्यों?

वस्तु और सेवा कर (जी.एस.टी.) परिषद द्वारा जी.एस.टी. - 2 और जी.एस.टी. - 3 फार्म भरने की अंतिम तारीख को अक्टूबर महीने से बढ़ाकर क्रमशः 30 नवंबर और 11 दिसंबर कर दिया गया है। काफी समय से चर्चा का कारण बना यह जी.एस.टी. फार्म क्या है? साथ ही जी.एस.टी. फार्म - 1 एवं फार्म - 2 अथवा फार्म - 3 में क्या विभेद हैं? इत्यादि प्रश्नों के आलोक में इस लेख में विस्तार से वर्णन किया गया है, जो कि इस प्रकार हैं -

जी.एस.टी. फॉर्म -1 (GST-1) क्या है?

- यह कर वापसी अवधि (return period) के बाद के सभी स्वरूपों के लिये एक मास्टर फॉर्म के रूप में कार्य करता है।
- जी.एस.टी.आर. -1 यह सुनिश्चित करता है कि किसी व्यापारिक लेन-देन के अंतर्गत संबद्ध रिकॉर्ड में सप्लायर और प्राप्तकर्ता को शामिल किया जाना चाहिये।
- GST-1 बाहरी आपूर्ति के साथ सौदा करता है। अतः इसके लिये आपूर्तिकर्ता द्वारा एक विस्तृत आधार पर समस्त सूचनाओं को उपलब्ध कराए जाने की ज़रूरत होती है। इसके अंतर्गत आपूर्तिकर्ता द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न अवधि के लिये प्रत्येक लेन-देन का चालान विवरण (invoice details) प्रदान करना होता है।
- आम तौर पर किसी भी महीने के लिये जी.एस.टी. फॉर्म -1 को आगामी माह की 10 तारीख तक भरा जाना चाहिये।

जी.एस.टी. फॉर्म - 2 क्या है?

- GST-2 में प्राप्तकर्ता द्वारा सभी आवक आपूर्तियों के विवरण को भरा जाएगा। इसका एक सबसेट जी.एस.टी. फार्म - 2 ए, आपूर्तिकर्ता के जी.एस.टी. फार्म -1 के द्वारा ऑटो-फिल होगा।
- उदाहरण के तौर पर, कंपनी ए द्वारा कंपनी बी को सामान की आपूर्ति की जाती है। ऐसी स्थिति में कंपनी ए द्वारा अपने जी.एस.टी. फॉर्म -1 में अपने सभी लेन-देनों का ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा। इस प्रकार का समस्त ब्यौरा कंपनी बी को अपने जी.एस.टी. फॉर्म -2 ए में पहले ही निहित मिलेगा।

- हालाँकि, कंपनी बी को भी अन्य विवरण प्रदान करने होंगे। इन विवरणों में अपंजीकृत कंपनियों से प्राप्त आवक आपूर्तियों को अपने GSTR-2 में निहित करना होगा। महीने की 15 तारीख तक यह फॉर्म भरा जाना चाहिये।
- अगर प्राप्तकर्ता जी.एस.टी. फॉर्म -2 ए में भरे जाने वाले विवरण के बारे में असहमति प्रकट करता है तो वह अपनी चिंताओं के विषय में आपूर्तिकर्ता के साथ संवाद कर सकता है, ताकि GSTR-1 को वार्ता में शामिल बिन्दुओं के अनुसार संशोधित करने का विकल्प मौजूद रहे।

जी.एस.टी. फॉर्म - 3 क्या है?

- सामान्य रूप से GSTR-3 एक ऑटो-फिल फॉर्म है, जो कि GSTR-1 और GSTR-2 में भरे गए विवरणों पर आधारित होता है।
- यह एक समेकित मासिक रिटर्न (consolidated monthly return) का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें एक पंजीकृत व्यक्ति या कंपनी द्वारा आवक आपूर्ति पर दिये गए टैक्स तथा आवक आपूर्ति पर संगृहित टैक्स संबंधी सभी प्रकार की टैक्स देयों को शामिल किया जाता है।
- इसके अंतर्गत कम से कम मैनुअल एंट्री की जाती है। किसी महीने के जी.एस.टी. फॉर्म - 3 को अगले महीने की 20 तारीख तक भरना होगा। जी.एस.टी. परिषद द्वारा कंपनियों को अपने अनुपालन भार को कम करने के लिये सारांश रूप में दिसंबर तक एक GSTR-3B दर्ज करने की अनुमति दी गई है।